पत्रांक –सं0सं0–02/उ0नि0/विविध (वैट)/14–09/2018............

बिहार सरकार

उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना

प्रेषक:– **पंकज कुमार सिंह,**
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

सेवा में,

राज्य–कर आयुक्त –सह– सचिव,
वाणिज्य–कर विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक ....

विषयः– **औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु, मध्यम एवं वृहत् प्रक्षेत्र की ईकाइयों को वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुदान के राशि की निकासी एवं भुगतान की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि औद्योगिक प्रो0 नीति, 2011 के अंतर्गत वैट प्रतिपूर्त्ति हेतु अनुलग्नक–I में ईकाइयों की सूची एवं मूल आवेदन पत्र संलग्न है। यह सभी आवेदन पत्र क्रम अनुसार Online प्राप्त किये गये हैं। वैट प्रतिपूर्त्ति की स्वीकृति निम्न शर्त्तों के साथ प्रदान की जाती है :–

(i) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए कर की रेकर्ड (record) से जाँच एवं पूर्व में की गई प्रतिपूर्त्ति की जाँच वाणिज्य–कर विभाग द्वारा की जाएगी। भुगतान किए गए कर के जाँचोपरान्त निर्धारित अधिसीमा के अंतर्गत वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्त्ति की राशि का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।

(ii) ईकाई द्वारा भुगतान किए गए Advance tax पर वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्त्ति का भुगतान देय नहीं होगा। Advance tax का सामंजन बकाये कर के विरूद्ध करने के पश्चात् जो वास्तविक कर का भुगतान होगा उसी के विरूद्ध ही प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा।

(iii) ईकाई को वैट/प्रवेश कर की प्रतिपूर्त्ति करते समय यह ध्यान रखा जाय कि यह सुविधा उन्हीं ईकाइयों को देय है जो उत्पादन में हैं व कार्यरत है। तथा ईकाई जिस वस्तु के उत्पादन में है, उसी के उत्पादित सामग्री पर चुकाए गए कर के विरूद्ध प्रतिपूर्त्ति किया जाय।

(iv) जो ईकाई Trading या Repacking का कार्य कर रही है, उन्हें वैट प्रतिपूर्त्ति देय नहीं होगा।

(v) ईकाई द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों/ प्रमाण–पत्रों/ अभिलेखों के भविष्य में गलत पाए जाने एवं अनुदान की गणना में त्रुटि पाए जाने पर अनुदान की राशि Public Demand Recovery Act के तहत वसूल कर ली जाएगी।

(vi) वैट/प्रवेश कर प्रतिपूर्त्ति के रूप में भुगतान की गई राशि की सूंचना अविलंब विभाग को दी जाएगी ताकि उद्योग विभाग का अभिलेख अद्यतन रखा जा सके।

(vii) उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–2059, दिनांक–11.06.2018 व 4405 दिनांक–07.12.2018 एवं आवंटनादेश संख्या–04/आ0 दिनांक–21.08. 2018 एवं आवंटनादेश संख्या–38/आ0 दिनांक–10.12.2018 के आलोक में तथा दिए गए सभी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

अनुलग्नक : यथोपरि।

ह0/–
उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना।

Vishwanath section-2

ज्ञापांक–............. पटना, दिनांक.............

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना एवं कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को अनुलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

ज्ञापांक–894 पटना, दिनांक 13.02.19

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित महाप्रबंधक/संबंधित ईकाइयों/आई0 टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

अनुलग्नक–I ईकाइयों की सूची						
Sl No	Vat Regd No & Circle	Claim for the Financial Year	Unit Name & Address	Total Investment	Claimed Amount of refund	Proposed Adjustment
500	10389620012	10-2014 To 06-2017	Unicorn Snaks Pvt Ltd, Industrial Area, Donar, Darbhanga	11800000	5544453	5544453
1901000052	10050971059	04-2017 To 06-2017	M/s Hero Cycles Limited, Mega Industrial Park, Bihta, Patna	446692000	4425600	4425600
1901000070	10296217084	07-2015 To 06-2017	M/s Avon Cycles Limited, EPIP, Hajipur	158190000	12977236	3623682
1901000098	10295056057	02-2014 To 06-2017	M/s Swastik agro Industries A unit of Swastik Hotels & inns pvt Ltd, Hajipur Industrial Area	33564000	1212789	1141448
1901000100	10061574064	05-2014 To 03-2015	M/s Jaya Nutrition Pvt Ltd, Didarganj, Patna	37400000	1009366	1009366
1901000123	10553207014	04-2013 To 05-2017	M/s NATRAJ RICE MILLS PVT LTD, DAKRA, Lakhisarai	367675000	9132230	8595040
1901000168	10295620025	05-2013 To 07-2017	M/s JAPFA COMFEED INDIA PRIVATE LIMITED, Chakjado, Vaishali	364728826	14652136	14652126
TOTAL						**38991715**

उप उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना

उद्योग निदेशक,
बिहार, पटना